08-1-21 अभि० प्रार्थी व पैरोकार हल्कार उप०।
जवाब पेश किया। [illegible] सुना गया।
प्रार्थी का मुख्य रूप से कथन है कि
आराजियात वर्णित खाता सं. 68 वाके ग्राम [illegible],
खाता सं. 51 व 55 वाके ग्राम बालापुरा तहसील
[illegible] में स्थित है जो प्रार्थी के खातेदारी
व कब्जे काश्त की है जिसमें प्रार्थी का नाम
जगदीश पुत्र रामसहाय के रूप में राजस्व रिकॉर्ड
में दर्ज है। किन्तु प्रार्थी के अन्य रिकार्ड जगदीश
पुत्र मूला के नाम से दर्ज है उक्त वादग्रस्त
आराजीयात में प्रार्थी के पिता का नाम रामसहाय के
बजाय मूला के रूप में संशोधन किया जाना
न्यायोचित है जगदीश पुत्र रामसहाय व

Ruby

जगदीश पुत्र मुला एक ही व्यक्ति है प्रार्थी के प्राकृतिक पिता का नाम जगदीश एवं दत्तक पिता का नाम मुला है। राशन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र व अन्य सरकारी दस्ता० में जगदीश पुत्र मुला का नाम दर्ज है, इसलिए उसे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है अतः प्रा० पत्र प्रार्थी पेश कर निवेदन है कि वादग्रस्त आराजियात में जगदीश पुत्र [illegible] रामसहाय के स्थान पर जगदीश पुत्र मुला जाति खारोल निवासी बालापुरा के रूप में दुरुस्ती किया जाकर रिकार्ड राजस्व में अमल किया जावे।

पटवारी हल्का द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में उल्लेख किया कि जमाबंदी सम्वत 2073–2076 की खाता संख्या 45 व 41 वाके ग्राम बालापुरा में प्रार्थी का नाम जगदीश पुत्र रामसहाय जाति खारोल दर्ज रिकार्ड है ग्राम रामेश्वरपुरा की जमाबंदी सम्वत 2073 से 2076 के खाता सं. 68 में जगदीश पुत्र रामसहाय जाति खारोल सा. बालापुरा दर्ज है राशनकार्ड, आधार कार्ड में जगदीश पुत्र मूला जाति खारोल नि० बालापुरा दर्ज है। प्रार्थी के प्राकृतिक पिता रामसहाय पुत्र उदा जाति खारोल के मृत्यु उपरान्त ग्राम बालापुरा के ख.नं. 2811/3992 व 57 तथा ग्राम रामेश्वरपुरा के ख.नं. 753, 754, 755, 756, 757 में जगदीश पुत्र रामसहाय जाति खारोल को विरासत में हकहिस्सा प्राप्त किया है प्रार्थी जगदीश का प्राकृतिक पिता रामसहाय पुत्र उदा होना उपस्थित मौतबिरानों ने बताया है प्रार्थी जिस पिता के गोद जाना बता रहा है वह ग्राम बालापुरा का निवासी नहीं होकर अन्यत्र दूसरी जगह का बताया है अतः उक्तानुसार दुरुस्त किया जाना उचित नहीं है।

पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार द्वारा अपने जवाब (रिपोर्ट) में स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया कि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी दुरुस्त किया जाना उचित नहीं है। Rudy

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में। जमाबंदी सम्वत ~~[illegible]~~ 2073-2076 खाता सं. 68 वाके ग्राम रामेश्वरपुरा, खाता सं. 45 वाके ग्राम बालापुरा, खाता सं. 51 वाके ग्राम बालापुरा, फोटो प्रति आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, पेश किये गये।	
हमने पत्रावली का उपरान्त अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2073-2076 की खतौनी सं. 68 वाके ग्राम ~~[illegible]~~ रामेश्वरपुरा में जगदीश पुत्र रामसहाय दर्ज है। सम्वत 2073-2076 खतौनी सं. 45 व 51 वाके ग्राम बालापुरा में भी जगदीश पुत्र रामसहाय दर्ज है। परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड में जगदीश पुत्र भूला दर्ज है प्रार्थी द्वारा अपने प्रा० पत्र की मद नं. 1 व 2 में कह रहा है कि प्रार्थी के प्राकृतिक पिता का नाम जगदीश एवं दत्तक पिता का नाम भूला है राशन कार्ड फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड में जगदीश पुत्र भूला है इसलिए उक्त राजस्व रिकार्ड में भी जगदीश पुत्र रामसहाय के बजाय जगदीश पुत्र भूला ~~[illegible]~~ दुरुस्त किया जावे। रिपोर्ट पटवारी अनुसार उक्त वादग्रस्त आराजियात उसे उसके प्राकृतिक पिता रामसहाय पुत्र उद्दा की मृत्यु उपरान्त विरासत में मिली होना बता रहा है प्राकृतिक पिता से विरासत में मिली उक्त आराजियात में प्रार्थी के दत्तक पिता का नाम वह अंकित कराना चाहता है जो कि किया जाना विधि सम्मत नहीं होना जाहिर है पेशकार मुकाम द्वारा भी रिपोर्ट पटवारी का ही स्पष्ट रूप से समर्थन करते हुए प्रार्थी द्वारा चाही गई दुरुस्ती नहीं किया उचित बताया है उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर Ruby	

तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज
	प्रार्थना पत्र प्रार्थी उ0प्र0 राजस्व अधिनियम की धारा 136 की परिधि में नहीं आता पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी साबित नहीं होने के फलस्वरूप खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। हुक्म आज दि0 08/1/21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। Ruby